206

<u>समक्ष न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर संभाग जबलपुर</u>

प्र. क.- R-3830-I/16

अशोक कुमार वल्द स्व. श्री कस्तूर चंद अग्रवाल
आयु लग0 49 वर्ष
निवासी ग्राम बिलहरी तहसील रीठी जिला कटनी
---रिवीजनकर्ता

बनाम

सम्पतलाल वल्द श्री बोधीराम अग्रवाल
आयु लग0 52 वर्ष
निवासी ग्राम तिलगवॉ तहसील रीठी जिला कटनी
---अनावेदक

<u>रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता</u>

सविनय निवेदन है कि-

रिवीजनकर्ता के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष यह रिवीजन अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय कटनी के प्रकरण कमांक 01/ पुन0/ बी121/ 2015-16 पक्षकार अशोक कुमार बनाम सम्पत लाल में पारित आदेश दिनांक 22.08.2016 से व्यथित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर यह रिवीजन निर्णयार्थ प्रस्तुत है-

<u>रिवीजन के तथ्य</u>

1- यह कि अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार बिलहरी के समक्ष सीमांकन आवेदन दिनांक 02.01.2016 को प्रस्तुत किया गया जिसमें रिवीजनकर्ता हितग्राही व्यक्ति है तथा सिविल न्यायालय के समक्ष प्रकरण लंबित है ऐंसी स्थिति में रिवीजनकर्ता को बिना पक्षकार बनाये विधिविरुद्ध तरीके से बिना सुनवाई का अवसर दिये गलत ढंग से सीमांकन कराया गया है।

2- यह कि नायब तहसीलदार बिलहरी के आदेश के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिवीजन प्रस्तुत किया गया था जो इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3830-एक/16 **जिला** - कटनी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुशील मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य __आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर__	